समाहरणालय, गढ़वा

(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)

आवश्यक सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक–6440 दिनांक–17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 एवं संकल्प ज्ञापांक–848 दिनांक–21.03.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक योग्यता/अहर्ता की विस्तृत जानकारी गढ़वा जिला के वेबसाईट garhwa.nic.in एवं http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन **दिनांक–17.06.2020 से 27.06.2020 तक** विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

15/6/20

उपायुक्त,
गढ़वा

ज्ञापांक 380 /मनरेगा, गढ़वा, दिनांक 15/06/2020

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जन सम्पर्क कार्यालय, गढ़वा को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/20

उपायुक्त,
गढ़वा

ज्ञापांक 380 /मनरेगा, गढ़वा, दिनांक 15/06/2020

प्रतिलिपि – मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/20

उपायुक्त,
गढ़वा

समाहरणालय, गढ़वा
(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)

विज्ञापन

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक–6440 दिनांक–17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 एवं संकल्प ज्ञापांक–848 दिनांक–21.03.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के 13 पद एवं तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के 10 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत है –

पदनाम		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	नियमित	8	3	1	1	0	13
	बैकलॉक	0	0	0	0	0	
तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	नियमित	4	2	2	0	0	10
	बैकलॉक	0	1	0	1	0	

* उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।

2. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अर्हताधारी व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

3. **शैक्षणिक योग्यता –**

क) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता –

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक से उतीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए०/पी०जी० डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०/पी०जी०डी०आर०डी०, बी०सी०ए०/बी०एससी० कम्प्यूटर/ बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/एम०एससी० (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेंगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०ए0 /पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा कर एम०बी०ए० की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एससी० कम्प्यूटर को

बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जाएँगे तथा बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुसार प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

b) एम०सी०ए०/एम०एससी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएँगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एससी० कम्प्यूटर साईंस या बी०एससी० कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

(ख) तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता–

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

4. उपर्युक्त वर्णित सभी शैक्षिणक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगे।

5. **आयु सीमा** – उपर्युक्त दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी। आयु सीमा की गणना दिनांक–01.01.2020 के आधार पर की जायेगी।

न्यूनतम आयु – 18 वर्ष (सभी वर्गो के लिए)

अधिकतम आयु – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–7636, दिनांक–12.10.2018 के अनुसार। (संकल्प संलग्न)

6. **राष्ट्रीयता** – आवेदक भारत का नागरिक हो।

7. **आरक्षण** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं दिब्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर गढ़वा जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

8. **परिलब्धि** – प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 20,000 /– रूपये प्रतिमाह एवं तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के लिए 18,020/– रूपये प्रतिमाह।

9. **स्थानीयता नीति** –

(a) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए स्थानीयता नीति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–3198 दिनांक–18.04.2016 के द्वारा प्रवृत आदेश लागू है। आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

(b) तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के लिए स्थानीयता के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–3854 दिनांक–01.06.2018 मान्य है, जिसमें मात्र गढ़वा जिला के स्थानीय निवासियों को पात्र माना जायेगा।

10. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगी।

11. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।

12. प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उन्हें सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

13. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

14. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष) के पदों पर चयन गढ़वा जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा इन दोनों पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, गढ़वा सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।

15. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

16. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारम्भिक मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र का सत्यापन इत्यादि के लिए गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

17. आवेदन **दिनांक–17.06.2020 से 27.06.2020 तक** विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

18. कोई अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

19. ऑनलाईन आवेदन में (क) सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, (ख) अंक पत्र, (ग) जाति प्रमाण–पत्र, (घ) निवास प्रमाण–पत्र, (ङ) जन्मतिथि हेतु मैट्रिक का अंक–पत्र / प्रमाण–पत्र, (च) शपथ–पत्र (प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पद हेतु), (छ) एवं अन्य प्रमाण–पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।

20. विभागीय पोर्टल पर दिये गये फाईल साईज के अनुसार ही फोटो, प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे।

21. फाईल साईज से कम साईज में फोटो, प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने पर या स्पष्ट नहीं होने पर अपठनीय स्थिति में प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति नहीं किया जा सकेगा।

15/6/20

उपायुक्त,
गढ़वा

ज्ञापांक 379 / मनरेगा, दिनांक 15/06/2020

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन.आई.सी., गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गढ़वा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

15/6/20

उपायुक्त,
गढ़वा

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग की अधिसूचना सं0–609, दिनांक–25.01.2016 द्वारा राज्य सरकार के अधीन दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार पाँच (5) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0–36035/3/2004–Estt(Res), दिनांक–29.12.2005 में भी दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दस (10) वर्षों की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अधीन दिव्यांग जन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन था।

2. दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट निम्नवत् प्रदान करती है :–

क्रम सं0	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–609, दिनांक–25.01.2016 के सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\chandan\Adhisuchna.docx

(58)

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का०– 7636 /रांची, दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Kailash 9/10/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का०– 7636 /रांची, दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

Kailash 9/10/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का०– 7636 /रांची, दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 9/10/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

समाहरणालय गढ़वा (जिला स्थापना शाखा)

ज्ञापांक 510 /स्था०, दिनांक 20.11.18

प्रतिलिपि – उप विकास आयुक्त महोदय गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/18

प्रभारी पदाधिकारी
जिला स्थापना शाखा–गढ़वा
20/11/18

E:\chandan\Achisuchna.docx